

मध्य प्रदेश
विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

ब्लॉक नं.-7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर-482008, (म.प्र.)

CIN: U40109MP2002SGC015120 Website: www.mpez.co.in

दूरभाष: 0761-2702020, फैक्स: 0761-2661219, 2669005

ईमेल—cgmhr.mpez@mp.gov.in



क्रमांक प्र.सं./पू.क्षे./मु.महा.प्र.(मा.सं.एवं प्रशा.)/ला.प.(नि.)-17/

जबलपुर दिनांक

परीक्षण सहायक (नियमित) 2017 के पदों की भर्ती हेतु परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम
पुस्तिका

- मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में परीक्षण सहायक (नियमित)-2017 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य (मैरिट) सूची के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु म.प्र. राज्य के मूल निवासी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
- परीक्षण सहायक (नियमित) की संभावित रिक्तियाँ निम्नानुसार हैं :

विवरण	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल रिक्त पद	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद
संभावित रिक्त पदों की संख्या	24	8	9	—	41	30 (07-अस्थि वाधित 23-श्रवण वाधित)
उपरोक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों हेतु समस्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षित पद	2	1	1	—	4	

टीप— पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है या स्थगित/ निरस्त भी किया जा सकता है।

3. शैक्षणिक योग्यता

- उम्मीदवार दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से आई.टी.आई (विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रैंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर) होना अनिवार्य है। (आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल सेक्टर से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे)
- अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आई.टी.आई. प्रमाण पत्र परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने उच्च शिक्षा जैसे कि डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है परन्तु आई.टी.आई. परीक्षा विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड से उत्तीर्ण नहीं की है, को नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
- महिला उम्मीदवार, जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता धारित करती हैं, भी आवेदन कर सकती हैं, तथापि कार्य में जोखिम होने के कारण आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार इस पहलू पर पूर्ण विचार करें।

4. मूल निवासी

आवेदन हेतु उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

5. आयु सीमा

- 5.1 आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। म.प्र. राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जन (अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित), भूतपूर्व सैनिक, विधवा/तलाकशुदा एवं अन्य महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। इस हेतु उम्मीदवार को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/सक्षम सैनिक प्राधिकारी/स्थानीय पंजीयक, जन्म—गृत्यु प्रमाण पत्र/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तलाक नामा की मूल प्रति दस्तावेजों के समय प्रस्तुत करना होगी।
- 5.2 म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोतों पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर परीक्षण सहायक (नियमित/संविदा), लाईन परिचारक (नियमित/संविदा) का कार्य 5 वर्ष से कम किया है अथवा कर रहे हैं, उन्हें कुल कार्य अनुभव (पूर्ण माह) की अवधि के समतुल्य अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। पांच वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी।
- 5.3 आवेदक को कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता का प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी।
- 5.3 आयु सीमा की गणना अन लाईन आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथी होगी।
- 5.4 अभ्यर्थी को जिस श्रेणी के अंतर्गत आयुसीमा में छूट की पात्रता होगी, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाए जाने के समय उसके सापेक्ष मूल प्रमाणपत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. आरक्षण

- 6.1 मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी।
- 6.2 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को म.प्र. का मूल निवासी होने के साथ संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6.3 म.प्र. शासन के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी—2010 से संशोधित नियम 4(ख) के अनुसार सहारिया, भारिया और बैगा जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया के अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को ऑन लाईन आवेदन पत्र की प्रति कंपनी के जबलपुर रिथित कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), ब्लाक नं. 7, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, जबलपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
- 6.4 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्रधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 26 भोपाल दिनांक 19 जनवरी 2015 में प्रकाशित अनुसूची 2 निःशक्त जनों के लिए चिन्हांकन — मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा परीक्षण सहायक के पद हेतु कुल 50 पद (25—अस्थिबाधित+25 श्रवण बाधित) आरक्षित है जिसमें से वर्तमान में 30 पद (07—अस्थि बाधित+ 23 श्रवण बाधित) रिक्त हैं। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार ये पद किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे।
- 6.5 शासन के नियमानुसार, भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्ष 2017 में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पदों में से 10 प्रतिशत पद 'हारीजोन्टल' एवं कम्पार्टमेंटवार्इज' आरक्षित हैं। इन पदों हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगे। ऐसी रिथिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। यदि चयन सूची में पहले से ही 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।
- 6.6 म.प्र. राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नहीं किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक परीक्षण सहायक (नियमित) के पद पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे।

7. आवेदन शुल्क

अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क रु.1000/- (रूपये एक हजार मात्र) निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन (अस्थिथ बाधित एवं श्रवण बाधित) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क रु.800/- (रूपये आठ सौ मात्र) निर्धारित है।

8. पात्रता के संबंध में

- 8.1 ऐसे आवेदक जिन्हें म.प्र. राज्य की किसी भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पदच्युत (Dismiss) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नहीं होगी।
- 8.2 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.1.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, को आवेदन की पात्रता नहीं है।
- 8.3 कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता स्तर के अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। कार्यपालन अभियंता स्तर से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा, तथा प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन होने के उपरांत भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 8.4 बोनस अंक की पात्रता म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के द्वारा उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्यस्त्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के द्वारा उपकेन्द्र पर आपरेटर, परीक्षण सहायक (नियमित/संविदा), लाइन परिचारक (नियमित/संविदा) के पदों पर कार्यानुभव धारक ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं।
- 8.5 ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को अधिकतम आयुसीमा में छूट एवं बोनस अंकों की पात्रता नहीं होगी।
- 8.6 दो या दो से अधिक कार्य अनुबंधों के मध्य जिस अवधि में अभ्यर्थी अनुबंधित नहीं पाया जावेगा वह अवधि कार्यानुभव में सम्मिलित नहीं होगी।
- 8.7 ऐसे उम्मीदवार जो किसी शासकीय/अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपकरण में कार्यरत हैं, यदि शिक्षा एवं आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं, को कार्य पर उपरिथिति के पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 8.8 शासन के नियमानुसार निःशक्तजन उम्मीदवारों की निःशक्तता न्यूनतम 40 प्रतिशत होनी चाहिये।

9. चिकित्सीय परीक्षण

परीक्षण सहायक (नियमित) के पद पर चयनित आवेदक को कर्तव्य पर उपरिथिति के समय जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन का फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार चिकित्सीय परीक्षण में असफल पाया जाता है तो उम्मीदवार का चयन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त होगा।

10. चयन प्रक्रिया

- 10.1 परीक्षण सहायक (नियमित) पद के लिए अर्ह अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2017 की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा हिंदी में आयोजित की जायेगी।
- 10.2 अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता, मूलनिवासी, जाति प्रमाण पत्र, म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के द्वारा उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के द्वारा उपकेन्द्र पर आपरेटर, परीक्षण सहायक (नियमित/संविदा), लाइन परिचारक (नियमित/संविदा) के कार्यानुभव संबंधी प्रमाणपत्र, निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र की प्रतियोगी आवेदन के समय एम.पी. आनलाईन की वेबवाइट पर अपलोड करना होगा।

- 10.3 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ मार्क 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन (अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित) के उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत न्यूनतम अंक निर्धारित हैं।
- 10.4 ऐसे आवेदक जिन्होंने म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में बीटर रीडिंग, 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोत पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर, परीक्षण सहायक (नियमित/संविदा), लाईन परिचारक (नियमित/संविदा) के पदों पर कम से कम 3 वर्ष कार्य किया है, को आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों पर कार्यानुभव के सापेक्ष 10 प्रतिशत बोनस अंक जोड़े जावेंगे, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो/सेवा समाप्त की गई हो, को पात्रता नहीं होगी। बोनस अंक की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं। कार्यानुभव की गणना अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पृथक—पृथक कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि को जोड़कर आनलाईन आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक (पूर्ण माह) में की जावेगी।
- 10.5 अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही मान्य होगा। फर्जी/नुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारी निरस्त करते हुये नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 10.6 कार्यपालन अभियंता एवं समकक्ष अथवा उच्चाधिकारी के द्वारा जारी किया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 10.7 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक अर्जित करने पर ही कार्यानुभव के सापेक्ष पात्रानुसार अर्जित बोनस अंक जोड़कर संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची संधारित कर चयन प्रक्रिया की जावेगी।
- 10.8 संयुक्त प्रावीण्य सूची से रिक्त पदों की संख्या के समतुल्य अभ्यर्थियों की सूची एम.पी. आनलाईन की वेबसाईट पर जारी कर अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। संयुक्त प्रावीण्य सूची से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के बाद शेष रिक्त पदों के लिए पुनः प्रतीक्षा सूचियाँ, निर्धारित समय सीमा में जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

11. प्रावीण्य सूची

एम.पी. आनलाईन द्वारा प्रतियोगी परीक्षा एवं अनुभव के बोनस अंकों के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची नियमानुसार तैयार की जावेगी:

- 11.1 अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इत्यादि के समस्त उम्मीदवारों की एक संयुक्त प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- 11.2 मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक—पृथक संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची तैयार की जावेगी।

12. प्रावीण्य सूची की वैधता

प्रावीण्य सूची परीक्षण सहायक (नियमित) हेतु आयोजित आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक वैध रहेगी। जिससे विज्ञापित पदों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की जावेगी। प्रतीक्षा सूची से चयन के संबंध में, कंपनी एक वर्ष के पूर्व भी चयन प्रक्रिया समाप्त कर सकेगी।

13. आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में जानकारी

- 13.1 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा वस्तुनिष्ठ (objective Type) प्रकार की होगी, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 03 अंक का होगा, अतः प्रश्न पत्र 300 अंक का होगा। कुल 100 प्रश्नों में से 75 प्रश्न विषय से संबंधित (आई.टी.आई.—विद्युतकार/वायरमेन/लाईनमेन) तथा 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घण्टे रहेगी तथा परीक्षा में Negative Marking नहीं रहेगी।

13.2 उम्मीदवारों को ऑन लाईन प्रतियोगी परीक्षा में समिलित होने हेतु एम.पी. ऑनलाईन द्वारा नियम एवं शर्तों सहित प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in से डाउनलोड किये जा सकेंगे। प्रवेश पत्र पृथकत डाक से प्रेषित नहीं किये जावेंगे।

13.3 कंपनी द्वारा अधिकृत नोडल एजेन्सी द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर उम्मीदवारों की उपस्थिति की Video CC TV Recording की जायेगी।

13.4 ऑन लाईन प्रतियोगी परीक्षा एम.पी. ऑनलाईन द्वारा जबलपुर स्थित विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किये जाने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा।

13.5 आवेदकों द्वारा ऑनलाईन फार्म में गलत जानकारी भरे जाने की स्थिति में एम.पी.ऑनलाईन द्वारा Edit Facility दी जायेगी। आवेदक द्वारा 60 रु. का भुगतान किये जाने पर फार्म में की गई त्रुटि को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से सुधरवाया जा सकेगा।

13.6 आनलाईन प्रतियोगी परीक्षा की आदर्श उत्तर पुस्तिका परीक्षा दिनांक से 03 से 05 दिवस के अंदर एम.पी. आनलाईन की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। जिसे प्रकाशन तिथि से 03 दिवस के अंदर चुनौती दी जा सकती है।

13.7 उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यदि चुनौती दी जाती है तो उम्मीदवारों को रूपये 600/- प्रति प्रश्न की दर से राशि जमा करने पर उसकी चुनौती स्वीकार की जायेगी तथा चुनौती वैध साबित होने पर जमा की गई राशि वापिसी योग्य होगी।

14. प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि कुल 06 माह की होगी, जिसमें 01 माह संख्यागत प्रशिक्षण समिलित होगा। निर्धारित मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण न किये जाने पर प्रशिक्षण अवधि केवल एक बार के तिथे बढ़ायी जायेगी, जिसकी अवधि का निर्धारण कंपनी द्वारा किया जायेगा। विस्तारित प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न किये जाने पर प्रशिक्षु की सेवायें कंपनी द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

15. अनुबंध

परीक्षण सहायक प्रशिक्षु (नियमित) द्वारा म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अथवा अधीनस्थ नियंत्रक प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु.100/- के नान-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। इस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा बहन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस के अंदर कार्य पर उपस्थित होना होगा। निर्धारित समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वमेव निरस्त समझा जायेगा।

16. कार्य की प्रकृति

परीक्षण सहायक (नियमित) की नियुक्ति पर उम्मीदवार को कंपनी के उपकेन्द्रों पर कार्य करना होगा।

17. प्रशिक्षुवृत्ति एवं वेतन

परीक्षण सहायक (नियमित) के पदों को भरे जाने हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड (ई-4) में वेतन 6510/- तथा सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 2500/- प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुवृत्ति देय होगी। प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान 5200—20200 में वेतन रु.6510/- एवं ग्रेड पे रु. 2500/- तथा समय—समय पर जारी भूतों की निर्धारित दरों के अनुरूप नियमानुसार पात्रता होगी।

18. सामान्य शर्तें

18.1 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय या सार्वजनिक उपकरण में कार्यरत हैं, सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

18.2 अनुसूचित जाति, अनुरूपूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऑनलाईन प्रतियोगी परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय साधारण श्रेणी का रेल अथवा वास्तविक बस किराया आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पत्राचार के पते के आधार पर मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा, इस हेतु आवेदक को जाति प्रमाणपत्र की खप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यात्रा किराया भुगतान हेतु आवेदनपत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही मान्य होगा।

18.3 चयन नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में ही मान्य होंगे।

18.4 प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

18.5 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अर्थर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत किये हैं/तथ्यों को छुपाया गया है अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

18.6 परीक्षण सहायक (नियमित) के पद पर नियुक्त कार्मिक को प्रशिक्षण अवधि एवं सेवा के दौरान कंपनी द्वारा कार्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण/गोपनीय जानकारी/सूचना आदि मिलती है अथवा दी जाती है। तदाशय की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

18.7 नियुक्ति उपरात किसी भी पक्ष द्वारा बिना कारण बताये 01 माह की पूर्व सूचना अथवा 01 माह का प्रशिक्षुवृत्ति/वेतन जैसा भी हो दूसरे पक्ष को भुगतान कर सेवा समाप्त कर सकता है।

19. पदरथापना एवं स्थानांतरण

परीक्षण सहायक (नियमित) पद पर नियुक्त कार्मिक को किसी भी अन्य कंपनी में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। सेवा के दौरान सक्षम प्राधिकृत अधिकारी कार्मिक का स्थानानंतरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर कर सकेगा।

20. अवकाश, यात्रा भत्ता, सेवा बंधन, अनुषंगी लाभ

कंपनी में नियमित पदों पर नियुक्त कार्मिकों के लिए लागू अवकाश, भत्ता, सेवा बंधन, चिकित्सा सुविधा, अनुषंगी लाभ/सुविधाएं कंपनी में प्रचलित नियमों एवं उनमें समय—समय पर होने वाले संशोधनों के साथ प्रभावशील होंगे। अन्य सेवा शर्तें यदि अनुबंध आदेश में विनिर्दिष्ट की जाती हैं, तो वे भी लागू होंगी।

20. आनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज/अभिलेख

20.1 आनलाईन आवेदन के समय उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की स्केन प्रतियों अपलोड करना अनिवार्य है :-

- 20.1.1 शैक्षणिक योग्यता 10 वीं की अंक सूची, प्रमाण पत्र
- 20.1.2 व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाणपत्र
- 20.1.3 मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र
- 20.1.4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र

20.2 यदि लागू हो तो निम्न अभिलेख भी आवेदक आवश्यक रूप से अपलोड करें:

- 20.2.1 म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर/लाईन परिचारक(संविदा/नियमित)/परीक्षा सहायक(संविदा/नियमित) अर्थर्थी कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता स्तर के अथवा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/जारी प्रमाणपत्र। (कार्यपालन अभियंता स्तर से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र मान्य नहीं)
- 20.2.2 शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्रायवेट लिमिटेड) उपकरण में कार्यरत उम्मीदवार का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
- 20.2.3 भूतपूर्व सैनिक के संबंध में म.प्र. राज्य के जिलों में पदस्थ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र

20.2.4 निःशक्तजन अभ्यर्थियों के संबंध में शासकीय संरथान से जारी निःशक्तता (न्यूनतम 40 प्रतिशत) चिकित्सा प्रमाण पत्र

23. महत्वपूर्ण दिनांक

चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक निम्नानुसार हैं :

क्र	विवरण	दिनांक
1	विज्ञापन जारी करने की तिथि	
2	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक	
3	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक	
4	आवेदन पत्र में सुधार (Edit Facility)	
5	एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की दिनांक	
6	ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक	
7	प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियां दर्ज करने की दिनांक	
8	ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम	

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी तिथियां संभावित हैं। अतः अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथियों में फेर-बदल संभव है। बिंदु क्रमांक 05 एवं 06 हेतु आवेदकों को एम.पी.ऑनलाईन तथा कंपनी की वेबसाइट पर सूचना दी जायेगी। अतः इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना व्यक्तिशः नहीं दी जायेगी। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान एम.पी.ऑनलाईन (www.mponline.gov.in) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.mpez.co.in) लगातार चेक करें।

महत्वपूर्ण टीप:

- आवेदकों से निवेदन है कि पूरा विज्ञापन पढ़ने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करें तथा विज्ञापन में प्रकाशित प्रावधानों को दूरभाष के माध्यम से पुनः ना पूछें। यदि आवेदक को किसी अन्य संबंध में समस्या है, जिसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया गया है, केवल ऐसी स्थिति में दूरभाष से संपर्क करें।
- ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत आवेदक अपना आवेदन क्रमांक संभाल कर रखें।
- आवेदकों द्वारा कार्यानुभव प्रमाण पत्र तथा यात्रा किराया आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किये गये कार्यानुभव प्रमाण पत्र तथा यात्रा किराया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं एवं प्रशा.)

